न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 98/2019

मैसर्स शिव स्टोन क्रेशर जरिये चन्द्रशेखर पुत्र श्यामसुन्दर जाति ब्राहमण निवासी घाटरी तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 14.07.2016 व मुकदमा रिपोर्ट पटवारी घाटरी बनाम मैसर्स शिव स्टोन क्रेशर मि0न0 08/2016 कार्यवाही अन्तर्गत 90(ए) भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 26.10.2021

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 14.07.2016 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 90(ए) भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को ग्राम घाटरी की आराजी खसरा नम्बर 679/56, 57, 59 रकवा 5 वीघा 9 विस्वा ग्राम घाटरी पर कच्चा/पक्का माल डालकर बिना भूमि रूपान्तरण कराये कृषि भूमि का अकृषि भूमि का उपयोग करने पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यो के विपरीत निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 57, 679/56 से अपीलान्ट का कोई सम्बन्ध नहीं है उसमें अपीलान्ट को कोई कच्चा पक्का माल नहीं पडा है। खसरा नम्बर 58 में अपीलान्ट ने अपने हिस्से की भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ 4857 वर्गमीटर भूमि का नियमानुसार संपरिवर्तन कराकर केशर स्थापित किया है तथा सारा माल उसी में डाला जाता है। खसरा नम्बर 59 में अपीलान्ट 1/2 हिस्से का हिस्सेदार है तथा उसमें केशर का कोई काम नहीं होता है, एक बार कुछ कच्चा माल डाल दिया था जिसे बाद में हटा लिया गया था। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये जबाब पर कोई जांच नहीं की गई है व पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर विश्वास करके अवैधानिक कार्यवाही की है। पटवारी के बयान तक दर्ज नहीं किये गये है। अपीलान्ट को कोई साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है। जबाब पेश करने के समय अधीनस्थ न्यायालय ने मामले की जांच करने की बात कहकर कार्यवाही करने के लिये कहा था और आगे कोई पेशी भी नहीं दी तथा कहा कि आवश्यकता पडने पर बुलवा लिया जायेगा, उक्त सभी कार्यवाही इकतरफा में मनमाने तरीके से की गई है। राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.10.2016 के अनुसार कृषक एक एकड भूमि तक अपनी खातेदारी की भूमि को लघु उद्योग के कार्य में बिना संपरिवर्तन कराये काम में ले सकता है, इससे भूमि की किस्म नहीं बदलती है, भूमि कृषि भूमि ही मानी जावेगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली की कार्यवाही के साथ ही माल को कब्जे राज लेकर उसे नीलामी के आदेश देने में कानूनी भूल की है, आदेश से पूर्व अतिक्रमी को भूमि खाली करने का अवसर देना चाहिये था परन्तु विधि के अनुरूप कार्यवाही न करके एक राठौरी आदेश पारित कर दिया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा नोटिस का जबाब पेश करने के बाद जांच करके कार्यवाही खत्म करने के लिये कहां गया था, इसके बाद कभी कोई कार्यवाही तहसीलदार द्वारा नहीं की गई, इससे अपीलान्ट ने यह समझा कि उनके विरूद्ध की गई बेदखली की कार्यवाही खत्म कर दी गई है, परन्तु दिनांक 05.11.2019 को पटवारी हल्का ने मौखिक रूप से इस आदेश के बारे में बताया तो अपीलान्ट ने शीघ्रता से दिनांक 06.11.2019 को तहसील गया व इसकी जांच की तथा सही पाये जाने पर तुरंत दिनांक 06.11.2019 को ही नकल का प्रार्थना पत्र दिया जिस पर नकल तैयार होकर उसी दिन प्राप्त की जिसे पढकर असल जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये दफा 5 म्याद अधिनियम को प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 90(ए) के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार ने अपील

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.07.2016 द्वारा शिव स्टोन क्रेशर के आराजी खसरा नम्बर 679/56, 57, 59 रकवा 5 वीघा 9 विस्वा खातेदारी भूमि का बिना रूपान्तरण कराये अकृषि प्रयोजन काम में लेने के कारण बेदखल किये जाने एवं गैर रूपान्तरण भूमि पर पडे कलवे को कब्जे राज लेने के आदेश दिये गये है। मुताबिक जमाबन्दी संवत 2072–75 आराजी खसरा नम्बर 59, 680/61 रकवा 6 वीघा 8 विस्वा ग्राम घाटरी पर उदयसिह पुत्र घीसा1/6, दिगम्बर पुत्र घीसा 1/6, ओमप्रकाश, दिनेश पिस0 विजेन्द्र हि.बरा. 1/9, कोमल पत्नी साहबसिंह 37/2304, रामू पुत्र साहबसिंह 91/2304 कौम जाट, चन्द्रशेखर पुत्र श्यामसुन्दर हि0 1/2 कौम ब्राहमण सा.देह खातेदार हि. उदयसिंह रहन पीएनबी भुसावर हि. दिगम्बर रहन एसबीआई बल्लभगढ इ.न. 1313, 1314 विरा 1437 हकवाम 1265, 1316 रहनकक 1293, 1359, 1325 रहन 1268 वय के नाम दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शिव स्टोन क्रेशर द्वारा प्रस्तुत जबाब में आराजी खसरा नम्बर 58 रकवा में से 4857 वर्गमीटर भूमि का रूपान्तरण कराये जाने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14.07.2016 में 4857 वर्गमीटर भूमि का रूपान्तरण किये जाने का अंकन किया गया है परन्तु अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 679/50, 57, 59 के सम्पूर्ण रकवे को क्रेशर के काम में लिये जाने के संबंध केवल शिव स्टोन क्रेशर को ही सुना गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रकवा के सभी खातेदारों को भी सुना जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत पक्षकारों को नहीं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

सुना है और न ही पटवारी हल्का के बयान आदि लिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नही है। उक्त प्रकरण में पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये एवं विधिवत जॉच कर विधि में दी गई प्रक्रिया अनुसार निर्णय किये जाने हेतु तहसीलदार भुसावर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार तहसीलदार भुसावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार भुसावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि वे पक्षकारो को सुनवाई, साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर देकर जॉच कर विधि में दी गई प्रक्रिया अनुसार पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ तहसीलदार भुसावर से प्राप्त तहत पत्रावली वापिस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)